समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

चतुर्दश बिहार विधान सभा का पंचदश सत्र दिनांक 19 जुलाई, 2010 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 23 जुलाई, 2010 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल-05 बैठकें हुई।

बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित तथा सत्रोपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमत अठारह विधेयकों का विवरण सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया । उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी को सभा के समक्ष उपस्थापित किया गया । चौदह जननायकों के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया तथा मंगलोर विमान हादसे एवं सैंथिया रेलवे स्टेशन पर हुए ट्रेन दुर्घटना में मृतकों के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई ।

दिनांक 20 जुलाई, 2010 को माननीय सदस्य, श्री लाल बाबू राय द्वारा नियम-105 के तहत चर्चा का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष रखा गया ।

दिनांक 21 जुलाई, 2010 को सदन में अव्यवस्था के लिए वर्त्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए माननीय मंत्री श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सोलह माननीय सदस्यों के निलम्बन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर सदन की सहमति हुई । आसन के निदेश पर वेल में नारेबाजी करते उक्त 16 सदस्यों समेत विपक्ष के कुल 67 माननीय सदस्यों को सदन से मार्शल आउट किया गया । बाद में माननीय मंत्री श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा लाये गये प्रस्ताव को सदन की सहमति से स्वीकार किये जाने पर वर्त्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए मार्शल आउट किये गये सभी माननीय सदस्यों को भी सदन से निलम्बित किया गया । माननीय मंत्री श्री नन्द किशोर यादव द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 के बजट प्राक्कलन से संबंधित प्राप्ति एवं व्ययों के रूझान के चतुर्थ तिमाही के परिणाम की प्रति सदन पटल पर रखी गयी ।

दिनांक 20 जुलाई, 2010 से जारी माननीय सदस्य श्री लाल बाबू राय द्वारा प्रस्तुत चर्चा में चौदह माननीय सदस्यों ने अपना विचार रखा जिस पर उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा सरकार की ओर से चर्चा का उत्तर दिया गया । इस विषय पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों के आग्रह पर आसन से नियमन दिया गया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुये वर्ष के प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति द्वारा जाँच कर सदन में प्रतिवेदन उपस्थापित किये जाने तथा सदन

द्वारा निर्णय लेने के पूर्व कोई भी संवैधानिक, सांविधिक अथवा अन्य किसी प्रकार के संस्था या अभिकरण उसके कार्य या कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और सरकार का संबद्ध विभाग सम्बन्धित कागजात को उपर्युक्त ढंग की अन्य संस्था को नहीं बल्कि समिति को उपस्थापित करने के लिये बाध्य है ।

दिनांक 22 जुलाई, 2010 को भारत परिसीमन आयोग के अंतिम आदेश 2007 के शुद्धि पत्र से संबंधित अधिसूचना संख्या-282 दिनांक 30.05.2008 एवं अधिसूचना संख्या-282 दिनांक 21.10.2008, बिहार सूचना का अधिकार (संशोधन) नियमावली 2009 एवं वाणिज्यकर विभाग की अधिसूचना संख्या-एस.ओ.-104 दिनांक 21.05.2010 एवं अधिसूचना संख्या-106 दिनांक 28.05.2010 एस.ओ.-132 दिनांक 29.06.2010 तथा एस.ओ.-134 दिनांक 12.07.2010 की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखी गयी । वित्तीय वर्ष 2010-11 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित कृषि विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद हुआ एवं शेष माँग गिलोटिन द्वारा स्वीकृत किये गये ।

दिनांक 23 जुलाई, 2010 को वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 का उपलब्धि प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2009 को अंत होने वाले वर्ष का प्रतिवेदन (सिविल) (राजस्व प्राप्तियाँ) तथा (वाणिज्यिक) एवं बिहार सरकार का राज्य वित्त प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 की प्रति सभा मेज पर रखी गई ।

वर्त्तमान सत्र में कुल चार राजकीय विधेयक यथा- (1) युनिवर्सिटी ऑफ नालंदा (निरसन) विधेयक, 2010, (2) बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2010, (3) बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय (बिहार संशोधन) विधेयक, 2010 एवं (4) बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2010 सदन द्वारा स्वीकृत किये गये ।

सत्र के दौरान कुल-436 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई जिनमें 289 प्रश्न स्वीकृत हुए, जिसमें 16 अल्पसूचित प्रश्न, 195 तारांकित प्रश्न तथा 78 अतारांकित प्रश्न थे । इन स्वीकृत प्रश्नों में से 37 प्रश्न उत्तरित हुए एवं 49 प्रश्नोत्तर सभा पटल पर रखे गये । 57 प्रश्न अपृष्ठ हुए एवं 146 प्रश्न अनागत हुए । सत्र के दौरान कुल- 15... गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर सदन में विचार-विमर्श हुआ ।

इस सत्र में कुल-27 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 06 स्वीकृत हुए एवं 21 अस्वीकृत हुए । कुल-08 याचिकाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 05 स्वीकृत एवं 03 अस्वीकृत हुई ।

इस सत्र में कुल- 59 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 39 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं 12 अमान्य हुए ।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यो द्वारा कुल-11 शून्यकाल के माध्यम से जनहित के मामले उठाये गये । बिहार विधान सभा की विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये ।

प्रश्न काल का पटना दूरदर्शन द्वारा प्रसारण किया गया तथा सम्पूर्ण कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग भी की गयी जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । इस कार्यों से जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सत्र के संचालन में भरपूर तथा सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, एवं सभी सदस्यों का मैं आभारी हूँ । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही को ले जाने का कार्य किया, उन्हें साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने पूर्ण तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

कदाचित यह सत्र चौदहवीं बिहार विधान सभा का अन्तिम सत्र है और आज इसकी अन्तिम बैठक है । सदन की गरिमा बनाये रखने के लिए भारी मन से 67 माननीय सदस्यों को निलम्बित करना पड़ा है । आसन नियम, प्रक्रिया एवं परम्परा से बंधा है, जिसमें आपसबों का सहयोग अपेक्षित था ।

मैं आप सभी के उज्ज्वल भविष्य एवं सुखद जीवन तथा हर क्षेत्र में सफलता की मंगल कामना करता हूँ ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है ।

❁❁❁❁❁